न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–03/2018–19

बिनोद बेसरा
बनाम
बिटिया मुर्मू एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

16.03.2023

यह अपीलवाद, अपीलकर्ता बिनोद बेसरा, पिता–स्व0 गुपीन बेसरा, सा0–गोपीनाथपुर, थाना–पाकुडिया, जिला–पाकुड़ के द्वरा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–11/2009–10 (साथ में पी0ए0 वाद सं0–65/2017–18 एवं 54/2017–18 संलग्न) में दिनांक–20.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) बिटिया मुर्मू, पति–स्व0 निकोदीन बेसरा (2) संजय बेसरा, पिता–स्व0 देवीधन बेसरा, दोनो का सा0–गोपीनाथपुर, थाना–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ (3) 16 आना रैयत, मौजा–गोपीनाथपुर एवं (4) अंचल अधिकारी, पाकुड़िया को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के अपीलकर्त्ता, उत्तरवादी सं0–01 एवं उत्तरवादी सं0–02 के द्वारा निम्न न्यायालय में प्रश्नगत मौजा–गोपीनाथपुर का स्वयं को ग्राम प्रधान नियुक्त करने हेतु अलग–अलग आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदनों के आधार पर पी0ए0 वाद सं0–11/2009–10, पी0ए0 वाद सं0–65/2017–18 एवं पी0ए0 वाद सं0–54/2017–18 संस्थित किया गया। पी0ए0 वाद सं0–65/2017–18 एवं 54/2017–18 को पी0ए0 वाद सं0–11/2009–10 के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई। दिनांक–20.11.2018 को पारित आदेश द्वारा इस वाद के उत्तरवादी सं0–01 बिटिया मुर्मू को मौजा गोपीनाथपुर का ग्राम प्रधान SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्त किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा गोपीनाथपुर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मोजा के अंतिम नियुक्त प्रधान निकोदीन बेसरा थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–27.07.2008 को हो चुकी है। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के सहोदर भाई हैं। उन्हें ग्रामीण रैयतों की सहमति प्राप्त है। अंचल अधिकारी, पाकुडिया द्वारा प्रेषित जॉच

Scanned by CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

प्रतिवेदन भी उनके पक्ष में है। उनका आगे कहना है कि SPT Rule 1950 के सेडयूल V के तहत रैयतों का consent भी नही लिया गया। प्रधान का पद वंशानुगत होता है। पत्नी वंशानुगत आधार पर Next heir नही हो सकती है। केवल पुत्र एवं घरजमाई पुत्री ही वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकारी हो सकती है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी स0–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा गोपीनाथपुर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अंतिम नियुक्त प्रधान निकोदन बेसरा थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उत्तरवादी सं0–01 पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान निकोदीन बेसरा की पत्नी है एवं इस आधार पर Direct line के वैद्य उत्तराधिकारी हैं। ग्राम प्रधान की नियुक्ति में सर्वप्रथम वंशानुगत आधार पर दाखिल आवेदन का निष्पादन किया जाता है। उनके द्वारा ग्राम प्रधान का कार्य किया जा रहा है एवं सभी रैयतों की सहमति (consent) उन्हें प्राप्त है। उनके द्वारा अपील ओवदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मौजा गोपीनाथपुर एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के अंतिम प्रधान निकोदीन बेसरा थे। अपीलकर्त्ता उक्त निकोदीन बेसरा के भाई है, जबकि उत्तरवादी सं0–01 निकोदीन बेसरा की पत्नी है। SPT Rule 1950 के सेडयूल V 3 निम्नवत् है :–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a sarbarakhar to manage for him until he attains his majority"

स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान का कार्यालय hereditary (वंशानुगत) होता है। पत्नी उत्तराधिकारी हो सकती है, परन्तु वंशानुगत आधार पर उनका दावा नहीं बनता है, क्योंकि वो किसी और वंश की होती है। Smt Devimai Murmu Vrs State of Jharkhand and others (2009(4) JCR 699(Jhr) : 2010(2) JLJR 542 में दर्ज न्याय निर्णय निम्नवत् है :–

"In view of the fact that the office of the headman is hereditary and the next heir ought to be appointed as a headman, it may be either son or the daughter" Daughter may become entitled to become as Headman only if she is a gharjamai daughter, meaning therby that she must have married to a person by perfoming

Scanned by CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

gharjamai form of marriage and her husband must be living at her in laws place by severing of his relationship with his own family"

उक्त न्याय निर्णय स्वतः स्पष्ट है कि पुत्र अथवा घरजमाई पुत्री Next heir हो सकती है। निम्न न्यायालय द्वारा पत्नी को अपने पति का Direct line का उत्तराधिकारी माना गया है जो उचित नही है। भाई भी Direct line के उत्तराधिकारी नही हो सकते है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सर्वप्रथम SPT Act 1949 की धारा 6 के तहत् दाखिल वंशानुगत दावे का निष्पादन करेंगे एवं वंशानुगत दावे के अप्राप्त रहने या वंशानुगत दावे के अस्वीकृत होने की दशा में SPT Act की धारा 5 के तहत विधिवत साठ दिनों के अन्दर ग्राम प्रधान की बहाली करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु वृत्त,
पाकुड़।

16/3/23
उ पा यु वृत्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.04.27 15:12:52 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34cb:8006:3557:abab

Scanned by CamScanner